कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा विभाग में नियुक्ति हेतु अभिस्तावित होने पर चयनित अभ्यर्थियों की कांउसलिंग की जाकर आशार्थियों द्वारा वांछित विद्यालय में पदस्थापित किया गया। जो आशार्थियों के द्वारा उनकी सुविधा सुगमता के अनुसार होती है। श्री अनिल कुमार अग्रवाल का पदस्थापन आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/सी–2/नियुक्ति/पीएससी/2015 दिनांक 19.07.2015 द्वारा राउमावि धोवड़ा–बूंदी में व्याख्याता वाणिज्य के पद पर किया गया। अनिल कुमार अग्रवाल ने अपने पदस्थापन आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 13232/2018 दायर की। याची ने माननीय उच्च न्यायालय से गुहार की है कि उससे कम मेरिट वाले अभ्यर्थियो को गृह जिलें में पदस्थापित किया गया जबकि उसे उसके गृह जिलें से बाहर पदस्थापित किया गया। अतः याची का पदस्थापन भी उसके गृह जिले में किया जाना चाहिये। माननीय उच्च न्यायालय ने याची को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा अपार्थीगण द्वारा अभ्यावेदन के निस्तारण का आदेश दिया। अतः याची ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

याची के अभ्यावेदन का गहनता से अध्ययन, मनन किया गया तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर याची की मांग के विषय में स्पष्ट है कि याची का मेरिट कमांक 233 पर है। अतः याची की यह मांग तर्कसंगत नही है कि याची से कम मेरिट कमांक वाले अभ्यर्थियों को गृह जिलें में पदस्थापित किया गया है। क्योंकि याची से ऊपर वाले अभ्यर्थियों को भी गृह जिलें से बाहर पदस्थापन मिला है। मेरिट कमांक 218, 219, 223,225 और 230 वाले अभ्यर्थियों को भी गृह जिलें से बाहर पदस्थापित किया गया हैं। व्याख्याता का पद राज्य सेवा का पद है, अतः किसी भी व्याख्याता का पदस्थापन/स्थानान्तरण विभागीय अवाश्यकतानुसार राज्य में छात्रहित अथवा लोकहित में किसी भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कहीं भी किया जा सकता है। विभाग की आवश्यकता प्रथम वरीयता है। इस प्रकार याची का अभ्यावेदन खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आइ.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/सी–2/कोके/याचिका सं0 13232/2018/अनिल कुमार अग्रवाल/ दिनांक–18/9/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संबंधित उपनिदेशक, (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जयपुर/जोधपुर/अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग कार्यालय हाजा
4. संबंधित प्रधानाचार्य, राउमावि
5. संबंधित कार्मिक
6. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर